

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

मिसल नम्बर :- 111 / 2024

G C M S नम्बर - 2024 /

प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर..एक्ट 1956

उनवान

मेघसिंह आदि

बनाम

शिवशंकर आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/5/24	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर..एक्ट 1956 के तहत बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थीगण की ओर से श्री मेघसिंह इन्द्राडवोकेट द्वारा पेश किया। कार्यालय टिप्पणी ली गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी प्रस्तुत सम्मन तलबाना पर जरिये नोटिस जारी हो। मिसल वास्ते तलबी दिनांक 7.6.24 को पेश हो।	
7/6/24	पत्रावल: पत्र हुं व कुलम्ह कारकन उपायुक्त, पोठासोन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है / भ्रमण पर है। पत्रावली गत आदेशनुसार दिनांक 5/7/24 को पेश हो।	
5/7/24	पत्रावल: पत्र हुं व कुलम्ह कारकन उपायुक्त, पोठासोन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है / भ्रमण पर है। पत्रावली गत आदेशनुसार दिनांक 2/8/24 को पेश हो।	
02/8/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी अखिर वकील प्रार्थी ने बहल पेश की कि उक्त भूमि रेल थलवा नम्बर 2519/1725 का दिनांक 05/6/2023 का राज्य सरकार के फल में काल रास्ते हेतु पंजिस्त रूप से स्वर्ण कर दिया जिसका स्वर्ण नामाकरण नी 5313 दिनांक 19/7/23 का हो गया लेकिन उक्त रास्ते की किशन आज भी बाराती दर्ज है अतः किशन शुद्ध की जावे। दर्ज तस्वीलर की रिपोर्ट अनुसार नी पूर्ण द्वारा 0.03 भूमि रास्ते हेतु स्वर्ण की गई थी स्वर्ण पत्र नी संलग्न है। नरेश में भी भूमि रास्ते की	



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <div style="text-align: right; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> 111 24 </div> मैद्यसिंह / सरकार	नम्बर व अहकाम हुकम की त जारी
02/8/24	<p> रूप में अंकित है अतः सलपन पत्र नम्बर तस्वील 1512 के रिपोर्ट के आधार पर गाम बुधाना के खसरासठ 2519/1725 रकबा 0.03 की किल्ला खारानी 2 के स्थान पर गैरमुठ रास्ता करने के आदेश मिले जाते हैं पत्रावली में निर्णय से खलास खुनाया गया पत्रावली जस्ताल शुमार ही नम्बर से कत है। इति </p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बुधाना जिला कुच्छुन (पल) </p>	